International Journal of Arts & Education Research

पर्यावरण एवं शिक्षा पर विवाह संस्कार के प्रभाव का अध्ययन

लोकपाल सिंह *[1], डा डा•एस•पी•सिंह[2]

[1]शोधकर्ता, सी.एम.जे.वि.वि. शिलांग

[2]प्राचार्य, मेरठ कॉलिज ऑफ एडवांस टैक्नॉलोजीए,मेरठ

प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता ही मानवीय जीवन का स्वस्थ आधार है। शिक्षा शास्त्राी अरस्तु का कथन है कि ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'' यदि हम स्वस्थ शरीर की कल्पना करें तो कहना होगा कि ''स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण ही स्वस्थ शरीर का आधार है।'' स्पष्ट है कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है। मस्तिष्क की भूख शिक्षा से शान्त होती है और भूखे शरीर की पूर्ति पर्यावरण में उपलब्ध स्वस्थ बनस्पति, स्वच्छ जल, एवं शुद्ध वायु से - मस्तिष्क, शुद्ध विचारों से, शरीर, शुद्ध भोजन, पर्यावरण के संतुलित क्रियाकलापों एवं आचार-व्यवहार से शुद्ध होता है।

उपरोक्त घटकों में से किसी एक की भी उपेक्षा, प्राकृतिक सन्तुलन को उसी प्रकार प्रभावित करेगा जिस प्रकार किसी बीमार व्यक्ति के किसी अंग विशेष में पीड़ा होने पर सम्पूर्ण शरीर पीड़ा का अनुभव कर कार्य में बाधकता का अनुभव करता है।

डायग्राम में निर्धारित क्रम में रखे गये समस्त घटक शिक्षा के विकास में सहायक हैं। हम शिक्षा द्वारा विकास चाहते हैं, शिक्षा मस्तिष्क द्वारा संचित की जाती है। डायग्राम में सभी तत्व मस्तिष्क की सामग्री हैं। इस सामग्री का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये तत्व शुद्ध हैं। सबसे अन्त में मानवीय कार्य एक घटक है जो ऊपर के सभी घटकों को प्रभावित करता है। यदि डायग्राम को उलट कर रख दें तब मानवीय क्रिया कलाप शीर्ष पर दिखाई देगा। पर्यावरणविदों ने समाज को जागरूक करने के लिए अनेक सम्मेलन एवं कार्यक्रमों का संचालन वैश्विक एवं देश-प्रदेश स्तर पर किया है। संक्षेप में कुछ विवरण दिया जा रहा है:-

<u>स्टॉक होम (स्वीडन)</u> मानवीय पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 26 सूत्राीय महाअधिकार पत्रा ;डंहदं ब्तजंद्ध प्रसारित किया गया है। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इण्डोनेशिया, आयरलैण्ड, इजरायल, जेरूसलम, कुवैत, मलेशिया, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, आदि देशों ने प्राकृतिक संसाधनों के निदानात्मक स्वरूप हेतु अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतियां बनायी।

भारत ने भी छंजपवदंस ब्वउउपजजमम वित म्दअपतवदउमदज च्संददपदह दक ब्व.वतकपदंजपवद ;छब्ब्द्ध की स्थापना की। 1972 में ही पर्यावरण नियन्त्राक मण्डल बनाये। पहली नवम्बर 1980 में प्रथम बार केन्द्र स्तर पर पर्यावरण विभाग की स्थापना की गयी। मन्त्राालय के अधीन 25 सितम्बर 1985 से पर्यावरण विभाग और वन्य जीव विभाग अनुभाग सक्रिय हुए। इसके अतिरिक्त अनेक परिषद बोर्ड, प्राधिकरण आदि प्रकाश में आये। भारत सरकार तथा मन्त्राालय द्वारा अनेक अधिनियम बनाकर लगभग 52 क्षेत्राों में अनेक कार्यक्रम पर्यावरण हेतु बनाये गये और 34 महत्वपूर्ण दिवस समाज में मेलो, धार्मिक, आयोजनों आदि के प्रतिरूप में घोषित किये गये। पृथ्वी दिवस, विश्व वन्य दिवस, विश्व जल दिवस, मानवाधिकार दिवस आदि।

पर्यावरण सुरक्षा की अनेक योजनाओं के साथ-साथ न्छम्च ने न्छैम्ब्व के सहयोग से नयी कार्य संस्था प्म्च तथा पर्यावरण शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संगोष्ठियां, कार्य गोष्ठियां सभी स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित की। बेलग्रेड घोषणा पत्रा में विश्व के 60 राष्ट्रों के 96 प्रतिनिधियों ने पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किये आदि-आदि।

महान विचारकों, विभागों, उच्चाधिकारियों, अनेक सरकारी- अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा एवं पर्यावरण पर काफी शोध कार्य एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उच्च स्तर पर जहां कार्य किया जा रहा है वहीं निचले स्तर के माने जाने कार्यों पर इस शोध पत्रा द्वारा सभी का ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य है।

समस्याः

भारतीय 16 संस्कारों में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक धूम-धाम से मनाया जाने वाला एक संस्कार वैवाहिक संस्कार है। वैवाहिक संस्कार को संस्कार न मानकर मानव समाज के जीवन का यहां आवश्यक कार्यक्रम मानकर विचार किया गया है। विवाह संस्कार मात्रा एक दिन का आयोजन दिखाई देता है। परन्तु इसकी जड़े कैंसर की तरह समाज में स्पष्ट गोचर नहीं होती। विवाह के लिए अभिभावक जहां धन एकत्रीकरण के लिए चिन्तित होते हैं वही युवा व युवतियाँ अपने मन में राजशाही कल्पनाएं लिए रहते हैं। इस प्रकार अभिभावक विवाह में उच्च स्तर दर्शाने के लिए जहां अथक परिश्रम कर शरीर को हानि पहुंचाते हैं वहीं धन, साधन बढ़ाने के लिए - चोरी, घूस, झूठ, बेईमानी, घटतौली, मिलावट, गुणवत्ताहीन वस्तुओं का आदान-प्रदान (अधिक मूल्य पर) बच्चों के लिए करना शुरू कर देते हैं। जिसमें घर के युवक-युवती भी अप्रत्यक्ष रूप से साझीदार रहते हैं और अपने अभिभावकों के निर्देशन में वो प्रत्येक कार्य करते हैं जिसे वे जानते हैं कि यह दूसरों के लिए हानिकर है। इतना ही नहीं क्षमता से अधिक धन व्यय करने में कर्ज लेना, स्थायी सम्पत्ति बेचना, गिरवी रखना आदि दंशों को झेलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह संस्कार का विकृत रूप शिक्षा और पर्यावरण को किन-किन आधारों पर प्रभावित करता है-

1. अमान्य तरीकों से धन संचय की प्रवृत्ति को आश्रय।
2. शोषण की प्रवृत्ति का होना।
3. सामान्य से अधिक श्रम, परिणाम स्वरूप बीमारी, कमजोरी व आयु का कम होना।
4. धन संचय की प्रवृत्ति के कारण शिक्षा प्राप्ति में उपेक्षा।
5. अनुचित व्यवहार के कारण सामाजिक स्तर का गिरना।
6. अमानवीय कार्यो को करना जैसे - पशु हत्या का पेशा अपनाकर धन कमाना। चोरी, हत्या, लूट आदि को अंजाम देना।
7. पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण विवाह में विलम्ब परिणाम स्वरूप युवक-युवतियों के गोपनीय प्रेम प्रसंग को बढ़ावा।
8. वैवाहिक कार्यक्रम में आतिशबाजी द्वारा ध्वनि व वायु प्रदूषण।
9. डी0जे0 साउण्ड द्वारा ध्वनि प्रदूषण।
10. विशेष प्रकार के व्यंजन बनाने में भोज्य सामग्री का दुरूपयोग एवं अरूचिकर भोजन का फेंकना।
11. प्लास्टिक के पात्रों का अप्रत्याशित प्रयोग।
12. विवाह को प्रतिष्ठा का विषय बनाकर अत्यधिक व्यक्तियों को आमन्त्राण देकर भीड़ बढ़ाना।

IJAER

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

13. अत्यधिक आभूषणों एवं महंगे वस्त्रों तथा उपकरणों का प्रदर्शन एवं दहेज में देना।
14. ए.सी. युक्त भवनों का निर्माण, एवं आवश्यकता से अधिक कमरों का निर्माण।
15. आवास में शीशे आदि का अत्यधिक प्रयोग परिणाम स्वरूप आवास में गर्मी, सर्दी नियंत्राण हेतू अधिक बिजली की खपत। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अभाव में बीमारी व कमजोरी का अनुभव करना।
16. अत्यधिक कॉस्मैटिक का प्रयोग।
17. असंस्कारिक संगीत, युवकों द्वारा भद्दे (डांस), नृत्य, असामाजिक फब्तियाँ, शराब का प्रयोग।
18. विशाल टेन्ट व कला प्रदर्शन। विवाह एवं भवन निर्माण में ऋण आदि।

सभी तथ्य शिक्षा एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिनके प्रति समाज को जागरूक करना शिक्षा का उद्देश्य है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. विवाह संस्कारों में सादगी एवं प्रतिष्ठात्मक प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
2. विवाह आयोजन का सही उद्देश्य समझना।
3. पर्यावरण पर कुप्रभाव डालने वाले तत्वों के प्रति जागरूकता लाना।
4. "सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः" का वातावरण उत्पन्न करना।

परिकल्पनाएं:

1. विवाह कार्यक्रम सादगी से सम्पन्न हो सकता है।
2. विवाह प्रतिष्ठा के विषय से मुक्त हो सकता है।
3. शुद्ध पर्यावरण व शिक्षा विवाह कार्यक्रम से प्रभावित होती है।
4. शिक्षा वरदान भी है और अभिशाप भी।

अध्ययन का प्रारूप :

प्रस्तुत अध्ययन में सामाजिक कार्यक्रम से शिक्षा व पर्यावरण के प्रभाव को चुना गया है। जिसमें सामाजिक कार्यक्रम विवाह को लिया गया है। अन्य कारकों का अध्ययन पर्यावरण विषय में किया जा रहा है। प्रकरण नवीन है इस विषय पर शोध कार्य नहीं किये गये।

न्यादर्श एवं कार्यविधि :

समस्या के अध्ययन एवं समाधान हेतू शोधकर्ता ने न्यादर्श के रूप में बिजनौर जिला के 'हिन्दू विवाह' कार्यक्रमों को चुना। जिसमें 16 ग्राम व नगरों का चुनाव न्यादर्श के रूप में यादृच्छिक विधि से किया गया है। इन ग्राम व नगरों में से 180 विवाहों का यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया है। जिसमें 90 पुरूष एवं 90 स्त्री वर्ग से है। निम्न वर्ग के 40, सामान्य के 51 एवं उच्च वर्ग के 89 स्त्री पुरूष लिए गये हैं।

IJAER

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

आर्थिक स्तर के आधार पर निम्न वर्ग की मासिक आय 3,000/-, सामान्य वर्ग की 12,000/-, उच्च वर्ग की 12,000/- से अधिक मासिक आय को लिया गया है। परिवार के सदस्यों की औसत संख्या प्रति स्त्री पुरूष 5 है। अध्ययन के लिये आर्थिक आधार पर निम्न वर्ग के 123 तथा सामान्य व उच्च वर्ग के 57 विवाहितों को लिया गया।

आंकड़ों का संग्रहण :

शोधकर्ता ने विवाहितों से मिलकर उनसे प्रश्नावली भरवाकर आंकड़ो का संग्रहण किया तथा सारिणीबद्ध किया।

सांख्यिकीय विश्लेषण :

प्रस्तुत आधार पर प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत तथा परिकल्पनाओं का परीक्षण काई वर्ग जाँच द्वारा किया गया।

विभिन्न आधारों पर विवाह के प्रति विवाहितों का दृष्टिकोण

वर्गीकरण का आधार	वर्गीकरण	प्रतिष्ठात्मक संसाधनों का विपक्ष	(प्रतिशत में) पक्ष
लैंगिक	पुरूष	76	24
	स्त्री	70	30
सामाजिक वर्ग	निम्न	75	25
	सामान्य	78	22
	उच्च	72	28
आर्थिक स्तर	निम्नवर्ग	80	20
	उच्चवर्ग	67	33
योग	ग्रामीण	80	20
	शहरी	70	30

उपरोक्त तालिका से पूर्णतः स्पष्ट है प्रत्येक दृष्टिकोण से अधिकांश मत प्रतिष्ठात्मक साधनों के प्रयोग के प्रति विपरीत दृष्टिकोण रखता है। लगभग 70आ से 80आ स्त्री-पुरूष वैचारिक दृष्टि से विपक्ष में हैं। लैंगिक आधार पर 30आ स्त्रियाँ सामाजिक स्तर के आधार पर 29आ (सामान्य वर्ग), आर्थिक स्तर के आधार पर उच्च वर्ग के 34आ पुरूष तथा क्षेत्रा के आधार पर शहरी क्षेत्रा के 30आ प्रतिष्ठात्मक साधनों के पक्ष में है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामान्यतः एक चौथाई स्त्री-पुरूष (विवाहित) प्रतिष्ठात्मक साधनों के पक्ष में और तीन चौथाई विपक्ष में है।

1. लैंगिक आधार पर पुरूष स्त्रियों की अपेक्षा वैचारिक दृष्टि से अधिक विरोध करते हैं।
2. सामाजिक स्तर के आधार पर सामान्य वर्ग के विवाहित प्रतिष्ठात्मक संसाधनों का सर्वाधिक विरोध करते हैं।

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

3. आर्थिक स्तर के आधार पर निम्न आर्थिक स्तर के विवाहितों में प्रबल विरोध पाया गया है।

काई वर्ग परीक्षण तालिका

	तुलना के आधार	दृष्टिकोण				काई वर्ग का परिगणित मूल्य	सार्थकता
		पक्ष		विपक्ष			
1		थ्व	थ्म	थ्व	थ्म	0ण्456	छण्ैण्
	पुरूष	76	73	24	27		
	स्त्राी	70	73	30	27		
2	वर्ग के आधार पर	थ्व	थ्म	थ्व	थ्म	0ण्96	छण्ैण्
	निम्न वर्ग	75	75	25	25		
	सामान्य वर्ग	78	75	22	25		
	उच्च वर्ग	72	75	28	25		
3	सामान्य आर्थिक स्तर	थ्व	थ्म	थ्व	थ्म	4ण्338	छण्ैण्
	उच्च आर्थिकर स्तर	80	73ण्5	20	26ण्5		
	निम्न आर्थिक स्तर	67	75ण्5	33	26ण्5		
4	क्षेत्राीय आधार पर	थ्व	थ्म	थ्व	थ्म	2ण्666	छण्ैण्
	ग्रामीण	80	73ण्5	20	26ण्5		
	शहरी	67	75ण्5	33	26ण्5		

IJAER

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.

कोई वर्ग परीक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षः

1. लैंगिक आधार पर वैवाहिक खर्च के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। परिकल्पना का परीक्षण काई वर्ग द्वारा करने पर पाया गया कि काई वर्ग का परिकलित मूल्य उसके सारिणी मूल्य (3.84) से बहुत कम है अतः हमारी 0.456 परिकल्पना स्वीकृत होती है और यह कहा जा सकता है कि वैवाहिक खर्च के प्रति पुरूष व स्त्रियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। द्वितीय परिकल्पना के अनुसार वैवाहिक खर्च के प्रति वर्ग के आधार पर व्यक्तियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। काई वर्ग परीक्षण द्वारा पाया गया है कि काई वर्ग का परिकलित मूल्य (0.96) उसके सारिणी मूल्य (5.99) से कम है। अतः उपरोक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। सभी वर्गों के व्यक्तियों में वैवाहिक खर्च में एक जैसी रुचि पायी गयी। तृतीय परिकल्पना यह है कि आर्थिक स्तर के आधार पर वैवाहिक खर्च के प्रति दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। काई वर्ग परीक्षण का परिणाम आया कि काई वर्ग का परिकालित मूल्य (4.338) है जो अपने तालिका मूल्य (3.84) से अधिक है अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है। और कहा जा सकता है वैवाहिक खर्च के प्रति उच्च व निम्न वर्ग के व्यक्तियों में सार्थक अन्तर है। क्षेत्रा के आधार पर वैवाहिक खर्च के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। काई वर्ग को गणना के पश्चात् पाया गया कि काई वर्ग का तालिका मूल्य (3.84) उसके परिकालित मूल्य (2.666) से अधिक है। अतः उपरोक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। अर्थात् क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण एवं शहरी लोगों के वैवाहिक खर्च के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वैचारिक दृष्टि से वैवाहिक खर्च में अधिकता को अधिकांश व्यक्ति सही नहीं मानते। जबकि व्यवहार रूप में अधिक खर्च का प्रदर्शन बना हुआ है। जो इस तथ्य की ओर संकेत है कि समाज विवाह कार्यक्रम को प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। विवाहों में व्यय उचित रीति से नहीं होता है। वैवाहिक प्रदर्शन एक आवश्यक बुराई बनता जा रहा है।

<u>सन्दर्भ ग्रंथ सूची</u>

प्राथमिक स्रोत

1. वेदसार

2. रामचरित मानस

3. श्रीमद्भागवत गीता

4. वाराह, अग्नि एवं पदमपुराण

द्वितीयक स्रोत

5. डॉ0 वत्सन. सध्योमिश्रा वत्सन, पर्यावरणीय शिक्षा, मेरठ आर0 लाल बुक डिपो

6. डॉ0 गोयल, एम0के0, पर्यावरण शिक्षा, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन -9

7. चन्दोला, प्रेमानन्द, पर्यावरण और जीव हिमाचल पुस्तक भण्डार 1984 देहली (भारत)

8. माथुर ए0एन0 एवं अन्य पर्यावरण शिक्षा देहली (भारत) हिमांशु पब्लिकेशन

9. शर्मा श्रीराम आचार्य , विवाह संस्कार, मथुरा पब्लिकेशन

Copyright © 2012 Published by IJAER. All rights reserved.